नातेदारी की रीतियाँ
(Kinship Usages)

नातेदारी-व्यवस्था के अन्तर्गत अनेक प्रकार के व्यवहार-प्रतिमानो (behaviour patterns) का भी समावेश होता है। हमारा किसी एक व्यक्ति से एक विशेष सम्बन्ध है, बस बात यही पर समाप्त नही हो जाती। इस रिश्ता या सम्बन्ध से सम्बन्धित एक विशिष्ट प्रकार का व्यवहार भी हुआ करता है। उदाहरणार्थ, 'अ' और 'ब' परस्पर पति-पत्नी है, इस सम्बन्ध के आधार पर उनके व्यवहारो का एक विशिष्ट रूप या प्रतिमान (pattern) होगा। यह नही हो सकता कि इन दोनो के व्यवहारो का प्रतिमान बिल्कुल उसी तरह का हो जैसा कि माता-पुत्र के व्यवहार का होता है। कुछ रिश्तो का आधार श्रद्धा और सम्मान का होता है, तो कुछ का प्रेम और कुछ का प्रीति। माता-पिता के साथ जो सम्बन्ध होता है उसका आधार श्रद्धा और सम्मान है, पत्नी के साथ सम्बन्ध का आधार प्रेम है, जबकि छोटे भाई-बहनो के साथ सम्बन्ध का आधार प्रीति है। साले-बहनोई या जीजा-साली का सम्बन्ध केवल सम्बन्ध ही नही 'मधुर सम्बन्ध' है। अत स्पष्ट है कि नातेदारी-व्यवस्था मे दो सम्बन्धियो के बीच का सम्बन्ध या व्यवहार किस प्रकार का होगा, इसके विषय मे कुछ नियम या रीतियाँ होती हैं, इसी को नातेदारी की रीतियाँ (Kinship Usages) कहते हैं। इन रीतियो मे जो बहुत ही प्रमुख या विलक्षण हैं, उनका उल्लेख हम यहाँ पर करेंगे।

परिहार
(Avoidance)

ukrnkjh 0;oLFkk मे परिहार का नियम या रीति बहुत ही लोकप्रिय है। 'परिहार' का अर्थ यह है कि कुछ ऐसे रिश्ते हैं जो कि दो व्यक्तियो के बीच एक निश्चित सम्बन्ध तो स्थापित करते हैं, पर साथ ही इस बात का निर्देश देते हैं कि वे एक-दूसरे से दूर रहे और पारस्परिक अन्त क्रिया मे यथासम्भव प्रत्यक्ष या आमने-सामने रहते हुए सक्रिय भाग न लें। इस प्रकार के सम्बन्ध मे पुत्र-वधू तथा सास-ससुर का सम्बन्ध बहुत ही सामान्य है। उसी प्रकार दामाद तथा सास का पारस्परिक सम्बन्ध भी कुछ समाजो मे परिहार के अन्तर्गत ही आता है। कुछ उदाहरणो से इस प्रकार के सम्बन्धो का स्पष्टीकरण सरलता से हो सकेगा।[24]

यूकाघिर (Yukaghir) जनजाति मे यह नियम है कि एक वधू कभी भी अपने ससुर या जेठ (husband's elder brother) के चेहरे को न देखे और न ही दामाद को अपनी सास या ससुर के चेहरे को देखना चाहिये। इन सम्बन्धियो को परस्पर यदि कुछ कहना होता है तो पर्दा करते हुए कहते है या किसी दूसरे से कहलवा देते हैं। ओस्ट्याक (Ostyak) जनजाति मे वधू अपने ससुर के सामने और दामाद अपनी सास के सामने तब तक नही आते हैं जब तक उनके बच्चे पैदा न हो जायें। अगर कभी अचानक वे एक-दूसरे के सामने पड जाते हैं, तो फौरन घूंघट से अपना चेहरा छिपा लेती हैं। वधू को जीवन भर ससुर के सामने घूंघट निकालना पडता है।

इस प्रकार के नियम हिन्दू समाज मे भी पाये जाते हैं। ससुर तथा अन्य वयोवृद्ध सम्बन्धियो के सामने घूंघट निकालना बहू के लिए एक सामान्य नियम है। उसी प्रकार पति, ससुर, जेठ आदि के नाम का उच्चारण बहू नही करती है।

उसी प्रकार सास-ससुर तथा दामाद के बीच के सम्बन्ध को भी कुछ समाजो मे नियन्त्रित किया जाता है। न्यू गिनी की बुकाऊ जनजाति मे सास-ससुर और दामाद न तो एक-दूसरे को देखते हैं, न एक-दूसरे को छूते है और न ही एक-दूसरे का नाम लेते हैं। अगर दामाद के सामने बैठकर ससुर को भोजन करना है तो ससुर को अपना चेहरा ढँककर बैठना पडता है और अगर कही इत्तफाक से दामाद अपने ससुर को मुँह (mouth) खोलते देख ले तो ससुर को इतना लज्जित होना पडता है कि वह जगल को भाग जाता है। आस्ट्रेलिया की जनजातियो मे तो इस प्रकार के निषेध और भी कठोर हैं। वहाँ कुछ जनजातियो मे दामाद को देखना या उससे बात करना तो दूर रहा, सास को उसके नाम तक को अपने कानो से सुनने की मनाही है। इन नियमो को तोडने से विवाह-विच्छेद हो सकता है, या दामाद को गाँव से निकाल दिया जाता है और कभी-कभी तो प्राण दण्ड तक मिलता है। अफ्रीका की जुलू जनजाति मे दामाद अपनी सास के पास तक कभी नही जाता और अगर कभी सास उसके पास से गुजर जाती है तो जो कुछ भी दामाद के मुँह मे उस समय होता है उसे निकाल कर फेक देता है।

वधू या दामाद द्वारा अपने सास-ससुर की उपरोक्त परिहार की रीतियो को सास-ससुर सम्बन्धिक निषेध (parent-in-law taboos) कहते हैं। इन निषेधो को ऊपरी-तौर पर देखने से ऐसा लगता है कि इन निषेधो का पालन करने वालो का पारस्परिक सम्बन्ध बहुत ही तनाव या सघर्षपूर्ण होगा, परन्तु वास्तव मे ऐसा नही है। कुछ जनजातियो के लोग तो यह स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं कि उनमे इस प्रकार के निषेध केवल परस्पर के प्रति सम्मान प्रर्दशन के हेतु ही हैं।

इस विषय पर **श्री टायलर** (Tylor) **का मत** यह है कि उपरोक्त निषेध मातृसत्तात्मक परिवार प्रथा के कारण है। इस प्रकार की परिवार-प्रथा मे वर को पत्नी के घर पर जाकर रहना पडता था जहाँ कि वह वर बिल्कुल ही अजनबी होता था। इस कारण उस परिवार की अन्य स्त्रियाँ विशेषकर सास जो कि परिवार की मालकिन होती थी, उस अजनबी वर से दूर रहती थी। इसी से धीरे-धीरे आगे चलकर सास सम्बन्धिक निषेध पनपे हैं। उसी प्रकार पितृस्थानीय परिवारो मे ससुर से सम्बन्धित निषेधो का जन्म हुआ है। परन्तु आज इस मत से बहुत से विद्वान सहमत नही हैं। होपी तथा जूनी जनजातियाँ जो कि मातृस्थानीय हैं, इस प्रकार के नियमो को नही मानती। आस्ट्रेलिया की वे जनजातियाँ जो कि पितृस्थानीय हैं, दामाद का परिहार करती हैं न कि वधू का।

इस विषय पर **श्री फ्रेजर** (Frazer) **का मत** यह है कि इन निषेधो का उद्देश्य यौन-सम्बन्ध को नियत्रित करना अर्थात् निकटाभिगमन (incest) को रोकना है। श्री फ्रेजर का कथन है कि कुछ जनजातियाँ तो इस विषय मे इतनी अधिक तटस्थ हैं कि भाई-बहन तक को एक-दूसरे से अलग रखते हैं। उदाहरणार्थ, लका की वेड्डा (Vedda) जनजाति मे भाई-बहन एक ही कमरे मे नही रह सकते और न ही एक साथ बैठकर खाना खा सकते हैं। श्री फ्रेजर के सिद्धान्त के आधार पर सास-दामाद के परिहार को यदि मान भी लिया जाय, तो भी इससे इस बात का स्पष्टीकरण नही होता है कि ससुर-दामाद के रिश्ते मे इस प्रकार के निषेध क्यो हैं ?

श्री फ्रायड (Freud) ने मनोवैज्ञानिक आधारो पर परिहार को समझाने का प्रयत्न किया है। आपके अनुसार इस प्रकार के निषेधो का एक-मात्र उद्देश्य दामाद और सास या वधू और ससुर मे पारस्परिक यौन-सम्बन्धी आकर्षण को रोकना है। श्री लोई (Lowie) का मत है कि वर और उसके ससुराल या दामाद और उसके ससुराल दोनो की सामाजिक और पारिवारिक पृष्ठभूमि मे भिन्नता होने के कारण ही इस प्रकार का परिहार पनपा है। श्री रैडक्लिफ-ब्राउन (Radcliffe-Brown) के मतानुसार नातेदारी मे कुछ ऐसे सम्बन्धी होते है जिनके कि अत्यधिक घनिष्ठ होने पर परिवार के अन्य सदस्यो मे द्वेष या ईर्ष्या की भावना पनप सकती है जो कि स्वस्थ पारिवारिक जीवन के लिये हानिकारक सिद्ध होगी। इसलिये इन सम्बन्धीगण को दूर-दूर ही रक्खा जाता है। सास, ससुर, दामाद, वधू इसी प्रकार के सम्बन्धीगण हैं। इसीलिये श्री टर्नी हाई (Turney High) का कथन है कि सास को दामाद से और वधू को ससुर से दूर रखना पारिवारिक शाति को बनाये रखने के लिये आवश्यक समझा गया।